प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क आरटीए रास्ता स्वीकृति बाबत

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री जसपाल सिंह दहिया	प्रार्थी
2. श्री शैलेन्द्र बिश्नोई	अप्रार्थी संख्या 1 ता 4
3. जरिये सरकार तहसीलदार पीलीबंगा	अप्रार्थी 5

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 26/5/2026

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क आरटीए रास्ता स्वीकृती बाबत प्रस्तुत किया गया है। **प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि** –यह कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का सही पता प्रार्थना पत्र के शीर्षक में सही अंकित है। यह कि वाके तहसील पीलीबंगा का चक 6 यू एम डब्ल्यू की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2021) से स्थाई का खाता सं. 62/54 प.न. 17/218 मु.न. 63 कि.न. 2 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25 की कुल 5.0600हैं. नहरी, अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थीगण के नाम ब. हिस्सा बराबर बराबर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। अवलोक नार्थ सत्य प्रति जमाबन्दी पेश हैं

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

यह कि वाके तहसील पीलीबंगा का चक 6 यू एम डब्ल्यू की मुताबिक जमाबन्दी बाबत 2075 से 2078 जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2021) से [illegible] का खाता सं. 81/ प.न. 16/218 मु.न. 62 कि.न. 16 ता 20/1, 23 ता 25 व प.न. 17/218 मु.न. 63 कि.न. 20/3, 20/5, 21/1, 21/2 की कुल 2.3200है. अनकमाण्ड मय मै. मु. रास्ता खातेदारी कृषि भूमि में से अप्रार्थी न. 1 के नाम 1/3 हिस्सा व अप्रार्थी न. 2 के नाम 1/6 हिस्सा व अप्रार्थी न. 3 के नाम 1/6 हिस्सा व अप्रार्थी न. 4 के नाम 1/6 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि अप्रार्थीगण न. 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। अवलोकनार्थ सत्य प्रति जमाबन्दी पेश है।

यह कि प्रार्थीगण अपनी उक्त कृषि भूमि में कृषि कार्य हेतू मय अपने ट्रेक्टर ट्राली व बैल गाड़ी आदि व पैदल चल कर अप्रार्थीगण न. 1 ता 4 की उक्त कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा का चक 6 यू एम डब्ल्यू का प.न. 17/218 मु.न. 63 कि.न. 21/1/0.0250 कुल 0.0250 है. में एक बीघा लम्बा व दो विस्वा चौड़ा रास्ता जो इस बीघा के दक्षिण दिशा की सींव पर पूर्व–पश्चिम एक बीघा लम्बा व उत्तर–दक्षिण दो बिस्वा चौड़ा रास्ता मौका पर चालू है। जो इसी प.नं. 17/218 मु. न. 63 का कि. नं. 21/2/0.0380 है. में चालू पक्की सड़क जो इसी प.न. 17/218 मु.न. 63 कि. न. 1,10,11,20,21 के प्रत्येक बीघा में 0.0380–0.0380 है पूर्व–पश्चिम 3 बिस्वा चौड़ी व उत्तर–दक्षिण 5 बीघा लम्बी पक्की सड़क में मिलता हुआ रास्ता है। जिसमें से होकर प्रार्थीगण अपनी उक्त कृषि भूमि में काफी लम्बे समय से बतौर रास्ता आना जाना करते आ रहे हैं। जिससे प्रार्थीगण उक्त रास्ता स्वीकृत करवा कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहता है। एंव प्रार्थीगण श्री मान जी के आदेश अनुसार उक्त रास्ता स्वीकृत करवाने की एवज में भूमि के बदले अपनी कृषि भूमि में से अप्रार्थीगण को चिपती हुई कृषि भूमि देने के लिये तैयार एंव सहमत है। इसके साथ ही श्री मान जी के अन्य आदेश की पालना के लिये भी प्रार्थीगण तैयार रहेगें।

यह कि तहसीलदार–राजस्व पीलीबंगा को अप्रार्थीगण न. 5 भू–धारक होने से प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया है ताकि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार का नुकस ना रहे।

यह कि प्रार्थना पत्र श्री मान जी के न्यायलय के क्षेत्राधिकार का है जो अन्दर मियाद व उचित कोर्ट फीस पर पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से स्वीकार किया जावे–

(क) कि वाके तहसील पीलीबंगा का चक 6 यू एम डब्ल्यू का प.न. 17/218 मु.न. 63 कि.न. 21/1/0.0250 कुल 0.0250 है. को रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे।

(ख) कि तहसील पीलीबंगा का चक 6 यू एम डब्ल्यू का प.न. 17/218 मु.न. 63 कि.न. 21/1/0.0250 कुल 0.0250 है. में एक बीघा लम्बा व दो विस्बा चौड़ा रास्ता जो इस बीघा के दक्षिण दिशा की सींव पर पूर्व–पश्चिम एक बीघा लम्बा व

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

उत्तर–दक्षिण दो बिस्वा चौड़ा रास्ता स्वीकृत किया जावे। जो इसी प.नं. 17/218 मु. न. 63 का कि.नं. 21/2/0.0380 है. में चालू पक्की सड़क जो इसी प.न. 17/218 मु.न. 63 कि.न. 1,10,11,20,21के प्रत्येक बीघा में 0.0380–0.0380 है पूर्व–पश्चिम 3 बिस्वा चौड़ी व उत्तर–दक्षिण 5 बीघा लम्बी पक्की सड़क में मिलता हुआ रास्ता है। को स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। श्री मान जी की अति कृपा होगी।

अधिवक्ता श्री शेलेन्द्र बिश्नोई द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 की ओर से वकालतनामा मय जवाब अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया गया है शामिल पत्राली है।

जबाब प्रार्थना पत्र मिन अप्रार्थीगण सं. 1, 3, 4 की और निम्न प्रकार से है – यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 पंजीकृत पता से सम्बधिंत है जो प्रार्थीगण स्वंय सिद्ध करे।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है। उक्त दफा में वर्णित कृषि भूमि के अलावा प्रार्थीगण के नाम चक 5 युएमडब्ल्यू के खाता सं. 77/64 के प. नं. 18/218 (70) में भी प्रार्थीगण व प्रार्थी सं.1 के पुत्र विनोद कुमार पुत्र बख्तावरराम के नाम कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है जिसका विवरण प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में नही दिया है। उक्त चक 5 युएमडब्ल्यू में दर्ज कृषि भूमि में से लगभग 13 बीघा भूमि प्रार्थीगण व विनोद कुमार पुत्र बख्तावरराम के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 5 युएमडब्लयू के चिपते ही प.नं. 19632218 किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में स्वीकृत शुदा रास्ता है जो मौका पर चालू है व उक्त रास्ता से ही प्रार्थीगण अपनी चक 5 युएमडब्ल्यू व चक 6 युएमडब्ल्यू स्थित कृषि भूमि में आना जाना व कृषि कार्य करते है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 अस्वीकार है। प्रार्थीगण द्वारा मिन अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में चाहा गया रास्ता कभी चालू नही रहा है। प्रार्थीगण ने जिस रास्ता की मांग की है उक्त जगह पर मिन अप्रार्थीगण की भूमि में राजकीय वृक्ष खेजड़ी के पेड़ भी लगे हुए है। प्रार्थीगण मिन अप्रार्थीगण से बेवजह रजिंश रखते है व जान बूझकर व तंग परेशान करने की नियत से मिन अप्रार्थीगण की भूमि में रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है। प्रार्थीगण के पास अपनी भूमि में आने जाने के लिये पूर्व में ही रास्ता स्वीकृतशुदा है। प्रार्थीगण के नाम दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि चक 6 युएमडब्ल्यू के प.नं. 17/218 (63) के अलावा उक्त भूमि के चिपते ही चक 5 युएमडब्ल्यू के खाता सं. 77/64 में भी प्रार्थीगण व प्रार्थी सं.1 के पुत्र विनोद कुमार पुत्र बख्तावरराम के नाम कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है जिसका विवरण प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में नही दिया है। उक्त चक 5 युएमडब्ल्यू में दर्ज कृषि भूमि में से लगभग 13 बीघा भूमि प्रार्थीगण व विनोद कुमार पुत्र बख्तावरराम के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 5 युएमडब्लयू के प.नं. 18/218 (70) के चिपते ही प.नं. 19632218 किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में स्वीकृतशुदा रास्ता है जो मौका पर चालू है व उक्त रास्ता से ही प्रार्थीगण अपनी चक 5 युएमडब्ल्यू व चक 6 युएमडब्ल्यू स्थित कृषि भूमि में आना जाना व कृषि कार्य करते है। उक्त रास्ता सुविधाजनक व सुगम है जो मौका पर चालू है। प्रार्थीगण के पास पूर्व में ही

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

रास्ता है तो वे नये रास्ता की मांग नही कर सकते है व ना ही नये रास्ता को स्वीकृत करवाने के अधिकारी है। मात्र मिन अप्रार्थीगण को तंग परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिज के है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 कानूनी है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 कानूनी है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

जबाब प्रार्थना पत्र मिन अप्रार्थी सं. 2 की और निम्न प्रकार से है – यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 पंजीकृत पता से सम्बधिंत है जो प्रार्थीगण स्वंय सिद्ध करे। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है। उक्त दफा में वर्णित कृषि भूमि के अलावा प्रार्थीगण के नाम चक 5 युएमडब्ल्यू के खाता सं. 77/64 के प.नं. 18/218 (70) में भी प्रार्थीगण व प्रार्थी सं.1 के पुत्र विनोद कुमार पुत्र बख्तावरराम के नाम कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है जिसका विवरण प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में नही दिया है। उक्त चक 5 युएमडब्ल्यू में दर्ज कृषि भूमि में से लगभग 13 बीघा भूमि प्रार्थीगण व विनोद कुमार पुत्र बख्तावरराम के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 5 युएमडब्लयू के चिपते ही प.नं. 19¢218 किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में स्वीकृतशुदा रास्ता है जो मौका पर चालू है व उक्त रास्ता से ही प्रार्थीगण अपनी चक 5 युएमडब्ल्यू व चक 6 युएमडब्ल्यू स्थित कृषि भूमि में आना जाना व कृषि कार्य करते है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 स्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 अस्वीकार है। प्रार्थीगण द्वारा मिन अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में चाहा गया रास्ता कभी चालू नही रहा है। प्रार्थीगण ने जिस रास्ता की मांग की है उक्त जगह पर मिन अप्रार्थीगण की भूमि में राजकीय वृक्ष खेजड़ी के पेड़ भी लगे हुए है। प्रार्थीगण मिन अप्रार्थीगण से बेवजह रजिंश रखते है व जानबूझकर व तंग परेशान करने की नियत से मिन अप्रार्थीगण की भूमि में रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है। प्रार्थीगण के पास अपनी भूमि में आने जाने के लिये पूर्व में ही रास्ता स्वीकृतशुदा है। प्रार्थीगण के नाम दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि चक 6 युएमडब्ल्यू के प.नं. 17/218 (63) के अलावा उक्त भूमि के चिपते ही चक 5 युएमडब्ल्यू के खाता सं. 77/64 में भी प्रार्थीगण व प्रार्थी सं.1 के पुत्र विनोद कुमार पुत्र बख्तावरराम के नाम कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है जिसका विवरण प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में नही दिया है। उक्त चक 5 युएमडब्ल्यू में दर्ज कृषि भूमि में से लगभग 13 बीघा भूमि प्रार्थीगण व विनोद कुमार पुत्र बख्तावरराम के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 5 युएमडब्लयू के प.नं. 18/218 (70) के चिपते ही प.नं. 19/218 किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में स्वीकृतशुदा रास्ता है जो मौका पर चालू है व उक्त रास्ता से ही प्रार्थीगण अपनी चक 5 युएमडब्ल्यू व चक 6 युएमडब्ल्यू स्थित कृषि भूमि में आना जाना व कृषि कार्य करते है। उक्त रास्ता सुविधाजनक व सुगम है जो मौका पर चालू है। प्रार्थीगण के पास पूर्व में ही रास्ता है तो वे नये रास्ता की मांग नही कर सकते है व ना ही नये रास्ता को स्वीकृत करवाने के अधिकारी है। मात्र मिन अप्रार्थीगण को तंग परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिज के है। यह कि प्रार्थना पत्र की

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

का 5 कानूनी है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 कानूनी है। अतः जबाब प्रार्थना मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा से रिपोर्ट प्राप्त की गई है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चक 6 यु.एम.डब्ल्यू. के प.नं. 17/218 कि.नं. 20 व 21 जमना देवी वगै0 के नाम दर्ज है। कि.नं. 20 व 21 में 0.038 हैक्ट. गै.मु. रास्ता है। प.नं. 17/218 कि.नं. 2 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25 बख्तावर राम व रामचन्द्र के नाम दर्ज है। चक 5 यू.एम.डब्ल्यू. में 18/218 कि.नं. 1, 2, 9 ता 25 निर्मला देवी व विनोद कुमार के नाम संयुक्त खाते में दर्ज है। प.नं. 18/218 के कि.नं. 3 ता 8 जैठाराम, धर्मपाल, रोशनी देवी, श्याम सुन्दर व सुषमा देवी के नाम संयुक्त खाते में दर्ज है। चक 5 यू.एम.डब्ल्यू. के प.नं. 19/218 के कि.नं. 1, 10, 11, 20, 21 में 0. 025 हैक्ट. **प्रत्येक किला रास्ता दर्ज है जो मौके पर चालू है।** इसके अलावा अन्य कोई रास्ता मुताबिक रिकॉर्ड दर्ज व चालू नहीं है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस में अधिवकता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के कथन दोहराते हुए कथन किया कि चाहा गया रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार हेतु निवेदन किया गया।

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया गया कि संयुक्त खाता की भूमि को चाहा गया रास्ता के अलावा अन्य रास्ता लगता है यह रास्ता सुविधाजनक रास्ता हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र है खारिज हेतु निवेदन किया गया।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट चक 6 यु.एम.डब्ल्यू. के प.नं. 17/218 कि.नं. 20 व 21 जमना देवी वगै0 के नाम दर्ज है। कि.नं. 20 व 21 में 0.038 हैक्ट. गै.मु. रास्ता है। प.नं. 17/218 कि.नं. 2 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25 बख्तावर राम व रामचन्द्र के नाम दर्ज है। चक 5 यू.एम.डब्ल्यू. में 18/218 कि.नं. 1, 2, 9 ता 25 निर्मला देवी व विनोद कुमार के नाम संयुक्त खाते में दर्ज है। प.नं. 18/218 के कि.नं. 3 ता 8 जैठाराम, धर्मपाल, रोशनी देवी, श्याम सुन्दर व सुषमा देवी के नाम संयुक्त खाते में दर्ज है। चक 5 यू.एम.डब्ल्यू. के प.नं. 19/218 के कि.नं. 1, 10, 11, 20, 21 में 0. 025 हैक्ट. **प्रत्येक किला रास्ता दर्ज है जो मौके पर चालू है।**

जबकि प्रार्थीगण की प्रश्नगत रकबा सांझा खाता की भूमि को पूर्व में स्वीकृत शुदा रास्ता लगता है प्रार्थना पत्र सुविधाजनक रास्ता का प्रस्तुत किया गया है जो कि सुखाधिकार के अन्तर्गत श्रवणयोग्य है। प्रार्थना पत्र लघुत्तम विकल्प की उपलब्धता, आंत्यातिक आवश्यकता के अभाव में केवल सुविधाजनक रास्ता हेतु प्रस्तुत किये जाने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251—क खारिज किया जाना न्यायोचित है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो । आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 26/5/26 सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा